



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

130-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2026 (BHADRA 4, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 26th August, 2026

No. 17-HLA of 2026/103/14707.— The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 17- HLA of 2026

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2026.
2. In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006, after serial number 27 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:—

“28. Kusum International University	District Rewari
29. Masters Union University	District Gurugram”.

Short title.

Amendment of
Schedule to
Haryana Act 32 of
2006.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions for improving opportunities of higher education for the youth of the State. In order to accommodate the unprecedented growth of students in higher education, and also to cross the target of 50% gross enrolment ratio (GER), as per National Education Policy, 2020 we need to roughly double the number of institutions at all levels by 2030. The government intervention would not be adequate to meet this benchmark in higher education. We need to enlist the participation of private sector in a major way. Haryana Private Universities Act, 2006 has been brought essentially to rope in private sector to supplement the initiative of Government in expanding the capacity in higher education and upscaling its standards.

To achieve the objectives enshrined in the Act, proposal has been made to setup of Kusum International University in Rewari and Masters' Union University, Gurugram.

Hence, this Bill.

MAHIPAL DHANDA,
Higher Education Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 26th August, 2026

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 17 एच.एल.ए.

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 27 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।

“28. कुसुम अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय

जिला रेवाड़ी

29. मास्टर्स यूनिजन विश्वविद्यालय

जिला गुरुग्राम”।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 50% सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार प्राप्त करने के लिए भी हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2030 तक संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्यतः लाया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिला रेवाड़ी में कुसुम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय व जिला गुरुग्राम में मास्टर्स यूनिजन विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

महीपाल ढांडा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 26 अगस्त, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,
सचिव।